

COUNCIL OF SCIENTIFIC & INDUSTRIAL RESEARCH
ANUSANDHAN BHAWAN, 2, RAFI MARG, NEW DELHI – 110001.

No. 19-1(7)/2014-SC/ST Cell


Dated: 06.05.2015

OFFICE MEMORANDUM

Sub: Implementation of the judgment of Hon'ble Supreme Court of India in the matter of Union of India vs. National Federation of Blind and Ors. – Filling of vacancies earmarked for Persons with Disabilities-reg.

Instructions have been issued repeatedly to fill up the vacancies reserved for Persons with Disabilities in the Laboratories/Institutes of CSIR. The Hon'ble Supreme Court of India in Civil Appeal No. 9096/2013 titled Union of India vs. National Federation of Blind has issued directions to fill up the vacant positions for Persons with Disabilities.

Accordingly, all Heads of Laboratories/Institutes are requested to initiate the recruitment process for filling up of the vacant positions immediately, if not already initiated and complete the process within a period of four months from the date of issue of this notification. All Sr. CoAs/CoAs/AOs are directed to take immediate steps in pursuance of the same, including forwarding copies of advertisements issued by the respective Laboratory/Institute to CSIR Hqrs. by the 1st week of every month so as to enable CSIR Hqrs. to monitor the same.


(Anjum Sharma)
Under Secretary (Lab. Admn.)

Copy to:

1. Directors/Heads of all Laboratories/Institutes of CSIR.
2. Sr. CoAs/CoAs/AOs of all the Laboratories/Institutes.
3. US O/o DG, CSIR.
4. PA to Joint Secretary (Admn.), CSIR.
5. PA to Sr. D.S. (Lab. Admn./HR), CSIR.
6. PA to Sr. D.S. (CO), CSIR.
7. Head IT with the request to upload this on CSIR website.
8. Office copy.

वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद
अनुसंधान भवन, 2, रफी मार्ग, नई दिल्ली- 110 001

सं.19-1(7)/2014-एससी/एसटी सेल

दिनांक: 06.05.2015

कार्यालय ज्ञापन

विषय: यूनियन ऑव इंडिया बनाम नेशनल फेडरेशन ऑव ब्लाइंड एवं अन्य के मामले में भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय का परिपालन-निःशक्त व्यक्तियों के लिए निर्धारित रिक्त पदों को भरने के संबंध में।

सीएसआईआर की प्रयोगशालाओं/संस्थानों में निःशक्त व्यक्तियों के लिए आरक्षित रिक्त पदों को भरे जाने हेतु बार-बार अनुदेश जारी किए गए हैं। भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय ने सिविल अपील सं.9096/2013 शीर्षक यूनियन ऑव इंडिया बनाम नेशनल फेडरेशन ऑव ब्लाइंड में निःशक्त व्यक्तियों के लिए रिक्त पदों को भरे जाने हेतु निदेश जारी किए हैं।

तदनुसार, समस्त प्रयोगशालाओं/संस्थानों के प्रधानों से अनुरोध है कि ऐसे रिक्त पदों को भरे जाने हेतु भर्ती प्रक्रिया, यदि आरंभ नहीं की गई है, तो इसे तत्काल आरंभ करें और इस अधिसूचना के जारी होने की तारीख से चार माह के भीतर यह प्रक्रिया पूरी कर लें। सभी वरिष्ठ प्रशासन नियंत्रकों/प्रशासन नियंत्रकों/प्रशासन अधिकारियों को निदेश दिया जाता है कि वे इसके अनुसरण में तुरन्त कार्रवाई करें और अपनी-अपनी प्रयोगशाला/संस्थान द्वारा जारी किए गए विज्ञापनों की प्रतियां प्रत्येक माह के प्रथम सप्ताह तक मुख्यालय को अग्रेषित करें जिससे कि सीएसआईआर मुख्यालय द्वारा इसको मॉनीटर किया जा सके।

31/2/06/05/2015
(अंजुम शर्मा)

अवर सचिव (प्रयोग.प्रशा.)

प्रति:

1. सीएसआईआर की सभी प्रयोगशालाओं/संस्थानों के निदेशक/प्रधान
2. सभी प्रयोगशालाओं/संस्थानों के वरिष्ठ प्रशासन नियंत्रक/प्रशासन नियंत्रक/प्रशासन अधिकारी
3. अवर सचिव, महानिदेशक, सीएसआईआर का कार्यालय
4. निजी सहायक, संयुक्त सचिव (प्रशा.), सीएसआईआर का कार्यालय
5. वरिष्ठ उपसचिव (प्रयोग.प्रशा./एचआर), सीएसआईआर की निजी सहायक
6. वरिष्ठ उपसचिव (के.का.), सीएसआईआर के निजी सहायक
7. प्रमुख, आईटी - इस अनुरोध के साथ कि इस कार्यालय ज्ञापन को सीएसआईआर की वेबसाइट पर अपलोड करवाएं।
8. कार्यालय प्रति